भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 937

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

उत्तर पूर्व क्षेत्र में बंधुआ मजदूर

937. श्री प्रद्युत बोरदोलोई

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त योजना लागू होने के बाद से एनईआर में मजदूरों की पहचान के लिए किए गए सर्वेक्षणों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में बंधुआ मजदूरी पर जागरूकता पैदा करने के लिए एनईआर में प्रत्येक राज्य को वितरित की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरी पर एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने देश भर में पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों को प्रदान की गई गैर-वित्तीय सहायता के कोष का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है, जिसमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उनके अनुरोध पर संवेदनशील जिलों में सर्वेक्षण करने, बंधुआ मजदूरों से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन करने और जागरूकता विकास कार्यक्रम के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकार अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकती है। इस अधिनियम के तहत एक अपराध पर मजिस्ट्रेट द्वारा सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है।

(ड.) और (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरी पर पोर्टल के विकास के लिए एजेंसी को अंतिम रूप दे दिया है।

*****